संख्या-253/2025/I/1019668/2025/23-11099(099)/266/2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 09-07-2025**

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) (लम्बाई 111.490 कि0मी0) के नव निर्माण कार्य की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1089/पी0जे011/15पी0जे0/25, दिनांक 25-02-2025, पत्र संख्या-39(1)/पी0जे011/15पी0जे0/225, दिनांक 22-04-2025 एवं पत्र संख्या-67/पी0जे011/15पी0जे0/25, दिनांक 14-05-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंग नहर की दांयी पटरी का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) (लम्बाई 111.490 कि0मी0) के नव निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-372/2020/182(आ)/23-11-2020-1/2(203)/2019, दिनांक 23-12-2020 द्वारा लागत रू0 62874.26 लाख एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-64/2024/I/508905/2024/23-11099(099)/266/2023, दिनांक 29-02-2024 द्वारा लागत रू0 70155.15 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में परिवर्तन के कारण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुन: पुनरीक्षित लागत रू0 62705.29 लाख (रूपये छ: अरब सत्ताई करोड़ पॉच लाख उन्तीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	पुन: पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	मुजफ्फरनगर /मेरठ एवं गाजियाबाद	जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) (लम्बाई 111.490 कि0मी0) के नव निर्माण का कार्य।	62874.26	70155.15	62705.29

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) व्यय-वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रायोजना कार्य हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यो पर दिनांक 18-07-2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके द्रष्टिगत लागत का आंकलन हेतु दिनांक 31-12-2021 तक सम्पादित कार्यो की लागत पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यो की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(12) यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की दर 18 प्रतिशत ली गयी है तथा इसके साथ ही प्रयुक्त मैटेरियल की लागत पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लिया गया है। मूल स्वीकृति के अनुसार सिर्फ एक बार ही मैटेरियल एवं लेबर पर 18 प्रतिशत टैक्स अनुमन्य किया गया है। प्रस्तावित कार्यमदों का निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से प्राप्त विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) प्रायोजना में वन विभाग सम्बन्धी कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के अनुसार यथावत सम्मिलित कर लिया गया है। इस हेतु मार्ग निर्माण/सेतु निर्माण के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो में द्विरावृत्ति न हो। निर्माण के समय वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही करेंगे।

(14) प्रायोजना में जनपद मुजफ्फरनगर में 1.05 हे0 भूमि का क्रय किया जान प्रस्तावित है, इस हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अनुमन्य सर्किल दरों को प्रयुक्त किया गया है। भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) जनपद मेरठ में वन/जल विद्युत निगम के भवन (170.35 व0मी0) हस्तान्तरण हेतु पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 49.93 लाख आंकलित की गयी है। इस धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(17) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना क्रियान्वयन से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(23) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-372/2020/182(आ)/23-11-2020-1/2(203)/ 2019, दिनांक 23-12-2020 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-64/2024/I/508905/2024/23-11099(099)/266/2023, दिनांक 29-02-2024 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(24) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-16-गंग नहर की दांयी पटरी का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-125-X-2025-26- दिनांक 08-07-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in